

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर)
क्रमांक एफ 2(पदों के संबंध में)/निजभूस/संस्था/14445-14524

दिनांक:- 21/09/2015

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 13864-13944 दिनांक 31.08.2015 में निदेशालय स्तर के पदनाम कॉलम में क्रमशः अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता के स्थान पर संयुक्त निदेशक व उप निदेशक तथा जिला स्तर पर बजट मद में 2402-00-001-(00)-[00] PLAN के स्थान पर 2402-00-196-(01)-[01] PLAN पढा जावें।



(अनुराग भारद्वाज)
निदेशक

क्रमांक एफ 2(पदों के संबंध में)/निजभूस/संस्था/14445-14524

दिनांक:- 21/09/15

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना), सचिवालय जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय जयपुर को आई.एफ.एम.एस. में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित कराने हेतु।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/आईडब्ल्यूएमपी), निदेशालय जयपुर।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरसेड सेल कम डाटा सेन्टर।
13. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जिला।
14. ए.सी.पी. (उप.निदेशक), निदेशालय, जयपुर को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।


(ज.डी. मीना)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)